राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

ई. एम. आई. परिसर, जे–8–ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004 (राजस्थान)

क्रमांक : आरएसएलडीसी / आरएसटीपी / 2016–17 / 15483 दिनांक : 06-03-2017

परिपत्र – 2 / 2017 : RSTP

निगम के परिपत्र क्रमांक 1 / 2016 (आरएसटीपी–एमआईएस एण्ड प्लेसमेन्ट) दिनांक 14.09.16 के निरन्तरता में Real Time Basis के आधार पर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के अनुसार भुगतान की गणना तथा प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं द्वारा प्रपत्र 12 व 12ए में उपलब्ध करवाये गये प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण उपरान्त नियोजन की सूचना के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

निगम के एमआईएस पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थियों की Real Time Basis पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होने को निगम के एमआईएस पोर्टल पर Same Calendar Date पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होना परिभाषित किया जाता है।

सम्पूर्ण बैच के भुगतान की Real Time Basis पर दर्ज उपस्थिति 81% से कम होने पर निम्नानुसार भुगतान किया जावेगा :

स्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों (बैच) के प्रशिक्षण कार्यक्रम में रियल टाईम आधार पर प्राप्त औसत उपस्थिति प्रतिशत	देय भुगतान हेतु गणना (प्रतिशत में)
0–25	शून्य
26–50	50
51–70	75
71–80	80
81 अथवा अधिक	100

(अ) उक्त प्राप्त Real Time उपस्थिति के प्रतिशत की गणना में Dropout / Not-eligible प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति को शामिल नहीं किया जावेगा।

(ब) किसी भी तकनीकी त्रुटि के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति निगम के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज नहीं होने पर प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा समय से निगम के सक्षम अधिकारी को सूचित किये जाने एवं यदि त्रुटि निगम के एमआईएस पोर्टल के कारण रही उसी स्थिति में संस्था को छूट देय होगी।

(स) तकनीकी त्रुटि प्रशिक्षण संस्थान अथवा वेन्डर के स्तर से होने पर छूट देय नही होगी।

प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार/स्वरोजगार में नियोजन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षणार्थी के रोजगार/स्वरोजगार में नियोजन की सूचना प्रपत्र 12/12ए का भौतिक सत्यापन निगम के जिला कार्यालय द्वारा किया जावेगा तथा भौतिक सत्यापन में प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा स्थापित प्रतिष्ठान/रोजगार स्थल की GPS Linked Photo एवं बैंक खाते/वेतन का बैंक खाते में जमा होने का विवरण जिला प्रबंधक आरएसएलडीसी द्वारा सत्यापित कर निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा। तद्नुरूप नियमानुसार प्रशिक्षण प्रदाता को सम्बंधित प्रशिक्षण बैच को शेष 20% राशि का भुगतान जारी किया जावेगा।

4/3/17

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : आरएसएलडीसी/आरएसटीपी/2016–17/15484-93 दिनांक : 06-03-2017

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, आरएसएलडीसी।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएसएलडीसी।
3. महाप्रबंधक प्रथम/द्वितीय, आरएसएलडीसी।
4. मुख्य लेखाधिकारी, आरएसएलडीसी।
5. उपमहाप्रबंधक प्रथम/तृतीय, आरएसएलडीसी।
6. परियोजना सलाहकार, आरएसएलडीसी।
7. प्रबंधक/सहायक प्रबन्धक, आरएसटीपी, आरएसएलडीसी।
8. टास्क मैनेजर, आरएसएलडीसी।
9. जोनल कोर्डीनेटर/समस्त प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

उपमहाप्रबंधक,
आरएसएलडीसी